केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

जलांश

खंड 6 अंक 08 मार्च-2024

संदेश

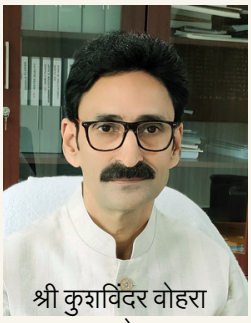

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

फरवरी, 2024 में, रणनीतिक समझौतों, तकनीकी प्रगति और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से भारत की जल सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई जिसका उद्देश्य अंतरराज्यीय जल विवादों को हल करने और जल संसाधन प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना था।

9 से 13 जुलाई, 2023 के बीच पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण-पश्चिम मानसून से भारी वर्षा के कारण, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, विशेष रूप से यमुना नदी जलग्रहण क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ गई थी। हथिनीकुंड और ओखला बैराज के बीच पहुंच हेतु यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए मेरी अध्यक्षता में ओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों सहित विभिन्न संगठनों के अधिकारियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव और अंतर्दृष्टि एकत्र की गईं। डेटा विश्लेषण पर आधारित एक अंतरिम रिपोर्ट, दिल्ली में आईटीओ बैराज के संचालन, चेतावनी और खतरे के स्तर से संबंधित उपायों का सुझाव देती है। बाढ़ के मैदानों में अस्थायी संरचनाओं को तोड़ने आदि को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग को भेज दिया गया है।

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को ओखला तक यमुना जल आवंटन के संबंध में मेरी अध्यक्षता में दिसंबर 2022 में एक और समिति का गठन किया गया। समिति की तीसरी बैठक में मैंने दोनों राज्यों के बीच जल आवंटन का प्रस्ताव रखा। व्यापक विचार-विमर्श के बाद दोनों राज्यों के प्रतिनिधि इस प्रस्ताव पर सहमत हुए। समझौते की रिपोर्ट 14.02.2024 को जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग को भेज दी गई थी।

भारत में जल सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और के.ज.आ. की सहायता से हरियाणा और राजस्थान की सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया यह समझौता, राजस्थान के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों, जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू और आसपास के जिलों में उनकी पेयजल आवश्यकताओं के लिए यमुना जल स्थानांतरित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए मंच तैयार करता है। केंद्रीय जल आयोग ने डीपीआर की संयुक्त तैयारी के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मैंने हरिके बैराज क्षमता की स्थिति और इंदिरागांधी फीडर की प्रारंभिक अरेखित/रेखांकित पहुंच की वहन क्षमता पर चर्चा करने और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें भी कीं।

इसके अलावा, के.ज.आ. ने अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। पेनैयार नदी जल विवाद पर मेरी अध्यक्षता में वार्ता समिति की पहली बैठक में चार सह-बेसिन राज्यों (कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी) के हितधारकों को आपसी समझौते पर चर्चा करने और प्रासंगिक मुद्दों का समाधान करने के लिए आगे का रास्ता तैयार करने के लिए एक साथ लाया गया।

बांध सुरक्षा के क्षेत्र में के.ज.आ. ने माह के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया। धारा 54(2) के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) द्वारा कुल 19 नियम तैयार करने की आवश्यकता थी। इसके बाद, इन्हें के.ज.आ. के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) द्वारा अनुमोदित किया जाना है। फरवरी, 2024 तक एनसीडीएस द्वारा 19 में से 14 विनियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और अनुमोदित कर दिया गया है।

सहयोग की भावना को जारी रखते हुए, के.ज.आ. ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल संसाधन, सिंचाई और जलशक्ति विभागों के साथ जुड़ाव की एक श्रृंखला शुरू की। डब्ल्यूआरडी, ओडिशा सरकार के अधिकारियों के साथ एक राज्य-स्तरीय बातचीत बैठक आयोजित की गई, जिसमें डब्ल्यूआरडी, ओडिशा द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों पर प्रस्तुतियां शामिल थीं, और शहरी बाढ़, विस्तारित हाइड्रोलॉजिकल पूर्वानुमान मॉडलिंग, एकीकृत जलाशय संचालन और बाढ़ पूर्वानुमान जैसे क्षेत्रों में के.ज.आ. द्वारा नई पहलों पर जानकारी दी गई।

इसके अलावा, डेनमार्क सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के साथ साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) द्वारा उनके साथ हस्ताक्षरित एक

समझौता ज्ञापन ने के.ज.आ. में ही स्मार्ट जल संसाधन मॉडलिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। एक व्यापक सहयोग ढांचे के रूप में परिकल्पित इस उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का उद्देश्य जल संसाधन मॉडलिंग गतिविधियों में के.ज.आ. की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।

तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में, इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) के साथ चर्चा में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए उपग्रह-आधारित रिमोट सेंसिंग अवलोकनों के संभावित उपयोग का पता लगाया गया। एसएसी और के.ज.आ. के कार्यों के बीच तालमेल को पहचानते हुए, यह निर्णय लिया गया कि दो संगठन सामान्य हित की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश कर सकते हैं।

मैंने सभी चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की समीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में कई बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें फरवरी, 2024 की बैठकें भी शामिल हैं। महीने के दौरान, बैठकें महाराष्ट्र में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा पर केंद्रित रहीं। परियोजना की स्थिति, प्रगति, बाधाओं, संभावित वित्तीय प्रभावों और मार्च 2026 तक पूरा होने को सुनिश्चित करने के तरीके पर विस्तृत चर्चा की गई।

भारत जल सप्ताह, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, जल विकास और प्रबंधन पर चर्चा करने का एक मंच है। प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 17-21 सितंबर 2024 के लिए निर्धारित आगामी 8वां संस्करण "समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग" विषय पर केंद्रित है। अध्यक्ष के रूप में, मैंने 8वें भारत जल सप्ताह (आईडब्ल्यूडब्ल्यू) के लिए तकनीकी समिति से संबंधित विभिन्न बैठकों का नेतृत्व किया, ताकि कवर किए जाने वाले उप- विषय-वस्तु/विषयों को अंतिम रूप दिया जा सके और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी कागजात प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की जा सके।

हमने "पाइप सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के लिए दिशानिर्देश" को अद्यतन करने के लिए एक अभ्यास शुरू किया है। मैंने पाइप सिंचाई नेटवर्क के विभिन्न पहलुओं पर विश्व बैंक सहित सभी हितधारकों के साथ चर्चा की। उम्मीद है कि मसौदा दिशानिर्देशों को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

संक्षेप में, ये निरंतर ठोस प्रयास स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने और राष्ट्र के सामने आने वाली महत्वपूर्ण जल संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए के.ज.आ. की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

CHARTS

STATEWISE DISTRIBUTION OF LARGE DAMS (EXISTING & ONGOING) IN INDIA

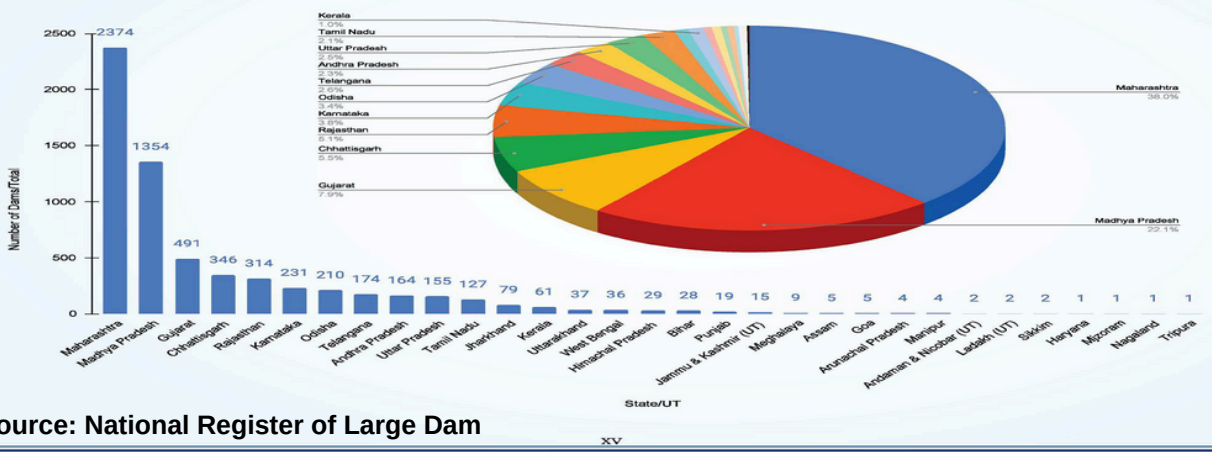

Source: National Register of Large Dam

XV

https://drive.google.com/file/d/1sPQ3l5HWNcEgLF9OyGllpCmL-lzR0dVY/view

विषयसूची

विदेशी प्रतिनिधिमंडल

- स्मार्ट जल संसाधन मॉडलिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना

परियोजना के संबंध में बैठक

- पूर्व-व्यवहार्यता के संबंध में बैठक
- रावी-ब्यास लिंक पर रिपोर्ट
- उत्तर कोयल परियोजना
- लखवार बहुउद्देशीय परियोजना
- रेणुकाजी बांध
- पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश
- केबीएलपी के डिजाइन और ड्राइंग का अनुमोदन/ परीक्षण

एनडीएसए और डीआरआईपी

- बांध सुरक्षा अधिनियम की धारा 54 (2) (ए) और 54 (2) (के) के तहत तैयार नियमों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक

वेबिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण

- बांध सुरक्षा पहलू पर वेबिनार

दौरा/निरीक्षण

- के.ज.आ., जीएसआई, सीएसएमआरएस, भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के पैनल और एचपीपीसीएल के अधिकारियों का रेणुकाजी बांध स्थल पर संयुक्त दौरा
- विभिन्न एचईपी परियोजनाओं पर तीस्ता नदी में जीएलओएफ के प्रभाव की जांच करने के लिए एनडीएसए समिति का दौरा
- आईआरआई रूड़की में के.ज.आ. और आनंदपुर बैराज परियोजना के अधिकारियों का संयुक्त दौरा
- ऊपरी तुंग परियोजना, कर्नाटक का निगरानी दौरा

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

i. बाढ़ और संबंधित मुद्दे

- हथनीकुंड और ओखला बैराज के बीच पहुंच के लिए यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन पर समिति की अंतरिम रिपोर्ट
- 2023 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्य में व्यापक बाढ़ के मद्देनजर संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए समिति की दूसरी बैठक

ii. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम

- महाराष्ट्र राज्य की चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समिति की बैठक
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम योजना के पुनरुद्धार के लिए कार्य समूह की दूसरी अनुवर्ती बैठक

iii. अन्य गतिविधियों

- आईडब्ल्यूआरडी, हरियाणा के साथ बैठक
- 8वें भारत जल सप्ताह की तकनीकी समिति की दूसरी बैठक
- "पाइप सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के लिए दिशानिर्देश"के संबंध में बैठक
- सिंचाई परियोजनाओं के कमांड/आस-पास के क्षेत्र से होने वाले अप्रत्यक्ष/अमूर्त लाभ का आकलन
- सिंचाई परियोजनाओं के कमांड/आस-पास के क्षेत्र से होने वाले अप्रत्यक्ष/अमूर्त लाभ का आकलन
- एनआईएच की टीएसी की 77वीं बैठक
- 10वें विश्व जल मंच के लिए आईसीआईडी इनपुट का मार्गदर्शन करने के लिए कार्य दलकी बैठक
- पीआरडब्ल्यूडी पर वार्ता समिति की पहली बैठक
- ओडिशा सरकार के डब्ल्यूआरडी के अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बातचीत
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), इसरो के साथ बैठक

iv. जलाशय निगरानी

विदेशी प्रतिनिधिमंडल

स्मार्ट जल संसाधन मॉडलिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना

स्मार्ट जल संसाधन मॉडलिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना के लिए केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) और डेनमार्क सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के बीच 21.02.2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन सितंबर, 2020 में भारत के माननीय प्रधान मंत्री और डेनमार्क के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर संयुक्त वक्तव्य का परिणाम है। हरित रणनीतिक साझेदारी पर संयुक्त वक्तव्य के अनुसरण में, स्मार्ट जल संसाधन मॉडलिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना के लिए घोषणा की गई थी।

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ., पदेन सचिव, भारत सरकार और एच.ई. रॉयल डेनिश दूतावास के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सीओई को एक व्यापक समझौते के रूप में स्थापित किया जाना है जिसका लक्ष्य के.ज.आ. के अधिदेश के भीतर जल मॉडलिंग के सभी पहलुओं पर सहयोग करना है। हालाँकि, निम्नलिखित प्राथमिकता के प्रारंभिक क्षेत्र हैं:

- भूजल और जलाशयों के एकीकृत संचालन सहित नदी बेसिन योजना और प्रबंधन की मॉडलिंग।
- सटीक बाढ़ मॉडलिंग के साथ बाढ़ का पूर्वानुमान।
- विस्तारित जलवैज्ञानिक पूर्वानुमान मॉडलिंग जिसमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव शामिल हो सकता है।
- हिमनद झील विस्फोट बाढ़ मॉडल अध्ययन।
- जल संसाधन परियोजनाओं के डिज़ाइन पहलू।
- नदी बेसिन योजनाओं के साथ विभिन्न पहलुओं का एकीकरण।
- के.ज.आ. में मॉडलिंग टूल का एक सूट विकसित करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर विकास को विशेष रूप से भारत में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है।

सीओई नवीनतम ज्ञान और प्रौद्योगिकी को नवीन समाधानों में बदल देगा और भारत में जल संसाधन क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक टिकाऊ और लचीला समाधान सुनिश्चित करने के लिए लागू समाधानों पर समर्थन और सलाह के साथ-साथ वास्तविक परीक्षण और पुष्टि करेगा।

परियोजना के संबंध में बैठक

रावी-ब्यास लिंक पर पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के संबंध में बैठक

के.ज.आ. के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव ने इस संबंध में पिछली बैठकों के अनुसरण में 01.02.2024 को दूसरे रावी ब्यास लिंक परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की।

बैठक में डब्ल्यूआरडी, पंजाब सरकार (जीओपी), केंद्रीय जल आयोग और अन्य संबंधित संगठनों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान बाढ़ अध्ययन, बैराज के डिजाइन, बीसी अनुपात और परियोजना की लागत विवरण पर विस्तृत चर्चा हुई। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने डब्ल्यूआरडी, जीओपी के अधिकारियों को परियोजना के बाढ़ अध्ययन, डिजाइन, लागत और लाभों के संबंध में के.ज.आ. के विशेष निदेशालयों के परामर्श से पीएफआर को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।

उत्तर कोयल परियोजना

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 34वीं बैठक 05.03.2024 को सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), सीडब्ल्यूसी और अध्यक्ष (टीईसी), एनकेपी की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में डीओडब्ल्यूआर, सीडब्ल्यूसी मुख्यालय और फील्ड इकाइयों, बिहार, झारखंड राज्य सरकारों और डब्ल्यूएपीसीओएस के अधिकारियों ने भाग लिया।

डब्ल्यूआरडी बिहार/झारखंड द्वारा भूमि अधिग्रहण की स्थिति, वैपकोस द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, "मिट्टी का काम, मरम्मत और दाहिनी मुख्य नहर के वितरण नेटवर्क के निर्माण (12 लघु)" हेतु निविदा दस्तावेज पर विचार, झारखंड, और उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, झारखंड और बिहार के तहत इसकी संरचनाएं", वैपकोस द्वारा प्रस्तुत चालान और आरएमसी से बिजली के खंभों के स्थानांतरण की स्थिति आदि जैसे महत्वपूर्ण एजेंडा आइटम पर चर्चा हुई। ।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 28.02.2024 को लखवार बहुउद्देशीय परियोजना-डायवर्जन टनल (डीटी3)अंतर्गम सिंहद्वार (इनलेट पोर्टल) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। श्री विवेक त्रिपाठी, सीई डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू), श्री एस.के. कंबोज, निदेशक, गेट्स (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय, श्री एन.एस. शेखावत, निदेशक, एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय और के.ज.आ., यूजेवीएनएल, एल एंड टी के अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हुए। इनलेट पोर्टल लगाने, कॉफ़रडैम और बांध के गड्ढे के बीच की ढलान की स्थिरता, भूमिगत संरचनाओं का यंत्रीकरण, अपवर्तन सुरंग प्लग, सुरक्षित असर क्षमता की गणना के लिए सुरक्षा के कारक आदि के बारे में चर्चा की गई।

रेणुकाजी बांध

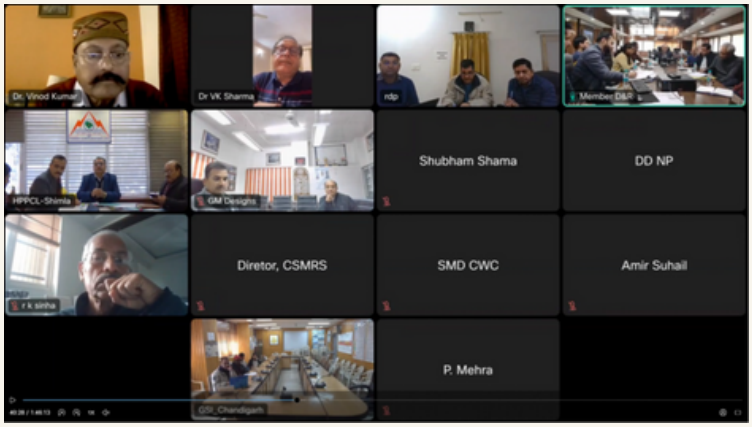

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. ने निविदा चरण के डिजाइन और ड्राइंग कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए रेणुकाजी बांध स्थल पर चल रहे जांच कार्य की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। 14.02.2024 को रेणुकाजी बांध परियोजना के लिए भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के पैनल, के.ज.आ., सीएसएमआरएस, जीएसआई और एचपीपीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी।

पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की अध्यक्षता में 06.02.2024 को पोलावरम सिंचाई परियोजना की समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में ईआरसीएफ बांध के जीएपी-II के लिए डायाफ्राम दीवार के जीर्णोद्धार की स्थिति और आगे का रास्ता, कोफर बांधों की मरम्मत की स्थिति और आगे का रास्ता, विशेषज्ञ डिजाइन एजेंसी को काम पर रखने की स्थिति, जब तक डिजाइन एजेंसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तकअंतरिम उपाय के रूप में व्यक्तिगत विशेषज्ञों को समय-

समय पर काम पर रखने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।

इसके अलावा, श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने अपस्ट्रीम कॉफ़र बांध पर सीएसएमआरएस रिपोर्ट और अपस्ट्रीम कॉफ़रडैम के माध्यम से रिसाव को कम करने के लिए विभिन्न संभावित उपचारात्मक उपायों पर चर्चा करने के लिए सीएसएमआरएस, पीपीए, डब्ल्यूआरडी, जीओएपी, मेसर्स एमईआईएल और मेसर्स एएफआरवाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ 15.02.2024 को के.ज.आ. में बैठक की। यह बैठक 06.02.2024 को सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, एमओजेएस की अध्यक्षता में हुई आंतरिक बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसरण के रूप में आयोजित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, 26.02.2024 को सदस्य (डी एंड आर) की अध्यक्षता में पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के लिए नियुक्त किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों के मूल्यांकन और सिफारिश के लिए गठित समिति की पहली बैठक हुई। पीपीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शिव नंदन कुमार ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. आर चित्रा, निदेशक, सीएसएमआरएस, श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस), के.ज.आ., श्री रमेश चक्रवर्ती मुकल्ला, जल प्रबंधन विशेषज्ञ, वर्ल्ड बैंक, एम. रघुराम, सदस्य सचिव और के.ज.आ. और पीपीए के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

यह बैठक पीआईपी के लिए व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों को चुनने (शॉर्टलिस्ट)के लिए की गई थी। ये विशेषज्ञ तब तक अंत:कालीन (स्टॉप-गैप) व्यवस्था के रूप में परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगे जब तक कि पीपीए एक नियमित डिजाइन एजेंसी को नियुक्त नहीं कर लेता। विशेषज्ञों का मुख्य जोर कॉफ़र बांधों से रिसाव, रॉकफिल बांध डिजाइन, बांध की नींव का जमीनी सुधार, डायाफ्राम दीवार आदि से संबंधित मुद्दों का समाधान करने पर होगा। बैठक में विश्व बैंक से प्राप्त नौ विशेषज्ञों के बायोडेटा को चर्चा के लिए और परियोजना के लिए विशेषज्ञों की सूची तैयार करने हेतु समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने प्रत्येक विशेषज्ञ के बायोडेटा पर विचार-विमर्श किया और परियोजना की कार्यात्मक आवश्यकताओं के साथ-साथ उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों का मूल्यांकन किया। विचार-विमर्श के आधार पर कार्यकाल, आवश्यक विशेषज्ञों की संख्या, विशेषज्ञता के क्षेत्र आदि के संबंध में समिति द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए।

केबीएलपी के डिजाइन और ड्राइंग का अनुमोदन/परीक्षण

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 19.02.2024 को केबीएलपी के डिजाइन और ड्राइंग के अनुमोदन/परीक्षण के कार्य के लिए के.ज.आ. की एक डिजाइन इकाई के उद्घाटन पर चर्चा करने के लिए सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा ली गई बैठक में भाग लिया। 2022-24 के दौरान, 9 जून, 2022 को एनडब्ल्यूडीए द्वारा प्रस्तावित विभिन्न लिंक के लिए डीपीआर और निर्माण चरण डिजाइन परामर्श प्रदान करने के लिए के.ज.आ. और एनडब्ल्यूडीए के बीच एक समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना भी निर्माण चरण डिजाइन कार्यों के लिए समझौता ज्ञापन के दायरे में है।

केबीएलपीए ने 19.10.2023 को झाँसी में आयोजित अपनी 5वीं बैठक में राय दी कि केबीएलपी के डिजाइन और ड्राइंग के अनुमोदन/परीक्षण के कार्य विशेष रूप से केबीएलपी के विभिन्न घटकों जैसे दौधन बांध, ऊपरी स्तर की सुरंग, निचले स्तर की सुरंग, 221 किमी की लिंक नहर के साथ-साथ कई नहर संरचनाओं और केबीएलपीए द्वारा किए जाने वाले अन्य सहायक कार्यों के निष्पादन से संबंधित के.ज.आ. की एक डिजाइन इकाई खोली जा सकती । इस संबंध में, के.ज.आ., भोपाल में केन-बेतवालिंक परियोजना (केबीएलपी) के काम के लिए एक डिजाइन इकाई खोलने और के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली में परियोजनाओं के प्रमुख घटकों की जांच/अंतिम निर्धारण के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बैठक की गई।

एनडीएसए और डीआरआईपी

बांध सुरक्षा अधिनियम की धारा 54 (2) (ए) और 54 (2) (के) के तहत तैयार नियमों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक

के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने 14.02.2024 को अपने कक्ष में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 54(2)(ए) और 54(2)(के) के तहत तैयार नियमों को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की। दो विनियमों 54(2)(ए) और 54(2)(के) पर अध्यक्ष, के.ज.आ. के साथ सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ., अध्यक्ष, एनडीएसए और के.ज.आ. और एनडीएसए के अन्य अधिकारियों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान, के.ज.आ. के अध्यक्ष द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ इन दो नियमों को अंतिम रूप दिया गया।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने अध्यक्ष, एनडीएसए को निर्देश दिया कि इन विनियमों को समिति की मंजूरी के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की अगली बैठक में रखा जा सकता है, ताकि इन्हें उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेजा जा सके।

वेबिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण

बांध सुरक्षा पहलू पर वेबिनार

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष (के.ज.आ.) और भारत सरकार के पदेन सचिव, ने राष्ट्रीय जल अकादमी, के.ज.आ. द्वारा "बांध सुरक्षा पहलुओं" पर आयोजित दो दिवसीय वेबिनार श्रृंखला का उद्घाटन किया।

अपने उद्घाटन भाषण के दौरान, अध्यक्ष (के.ज.आ.) श्री कुशीविंदर वोहरा ने भारत के विकास परिदृश्य में जल संसाधन परियोजनाओं, विशेष रूप से बांधों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। बांध के बुनियादी ढांचे और चल रहे बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) में पर्याप्त निवेश की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने बांध सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया, जो पूरे देश में बांध सुरक्षा पर एक समान प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल लाता है। उन्होंने बांध सुरक्षा पहलुओं के लिए सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने बांध स्वास्थ्य निगरानी के लिए उपकरणों और भूभौतिकीय विधियों के उपयोग के माध्यम से प्रभावी निगरानी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने मिट्टी के बांध के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए गैर-घुसपैठ तरीकों का उपयोग करने की हालिया पहल का उदाहरण दिया।

4 वेबिनार वाली इस वेबिनार श्रृंखला में बांध सुरक्षा अधिनियम का अवलोकन और कार्यान्वयन, डीआरआईपी II और डीआरआईपी III को बांध सुरक्षा के साथ संरेखित करना, पुराने बांधों के उपकरण और निगरानी में उभरते रुझान जैसे आवश्यक विषयों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू बांध स्वास्थ्य निगरानी के लिए दृश्य निरीक्षण से परे भूभौतिकीय तरीकों को नियोजित करने पर जोर देना है।

दौरा/निरीक्षण

के.ज.आ.,जीएसआई, सीएसएमआरएस, भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के पैनल और एचपीपीसीएल के अधिकारियों का रेणुकाजी बांध स्थल पर संयुक्त दौरा

के.ज.आ., जीएसआई, सीएसएमआरएस, एचपीपीसीएल, भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के पैनल और स्थायी विशेषज्ञ (एचपीपीसीएल) के अधिकारियों की एक टीम ने हाल ही में किए गए अन्वेषणों और अध्ययनों के परिणामों का आकलन करने के लिए 21.02.2024 से 22.02.2024 तक रेणुकाजी बांध परियोजना स्थल का दौरा किया।

दौरे के दौरान, टीम ने अपवर्तन सुरंग के अंतर्गम(इनलेट) और बहिर्गम(आउटलेट) पोर्टल, प्रतिप्रवाह (अपस्ट्रीम) कॉफ़र बांध अक्ष, मुख्य बांध अक्ष, बाएं और दाएं अंत्याधार(एबटमेंट) में खोदी गईं उपसुरंगों, अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) कॉफ़र बांध का दौरा किया, बाएं अंत्याधार पर प्रस्तावित स्पिलवे, इनटेक और पावरहाउस क्षेत्र का विहंगम दृश्य लिया तथा हाल ही में ड्रिल किए गए बोर होल के बोरहोल लॉग का निरीक्षण किया। इसके अलावा, परियोजना घटकों का दौरा करने के बाद पहले से किए गए भूवैज्ञानिक अन्वेषण और आगे की जांच आवश्यकताओं हेतु सुझाव/सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए 22.02.2024 को एक बैठक आयोजित की गई।

विभिन्न एचईपी परियोजनाओं पर तीस्ता नदी में जीएलओएफ के प्रभाव की जांच करने के लिए एनडीएसए समिति का दौरा

श्री एस.के.शर्मा निदेशक, बीसीडी (ई एंड एनई) ने समिति के सदस्यों के साथ विभिन्न एचईपी परियोजनाओं पर तीस्ता नदी में जीएलओएफ के प्रभाव की जांच करने के लिए 28.02.2024 से 03.03.2024 तक तीस्ता बेसिन में स्थित विभिन्न एचईपी परियोजनाओं जैसे तीस्ता III, तीस्ता IV, टीएलडीपी III, टीएलडीपी IV आदि का दौरा किया।

आईआरआई रूड़की में के.ज.आ. और आनंदपुर बैराज परियोजना के अधिकारियों का संयुक्त दौरा

प्रोटोटाइप की वर्तमान साइट स्थितियों के साथ मॉडल की जांच करने और आनंदपुर बैराज की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करने के लिए के.ज.आ. अधिकारियों और एबीपी अधिकारियों का आईआरआई रूड़की में 07.02.2024 को एक संयुक्त दौरा किया गया था।

ऊपरी तुंग परियोजना, कर्नाटक का निगरानी दौरा

एमएसओ, के.ज.आ., बेंगलुरु के अधिकारियों की एक टीम ने डॉ. जे. हर्ष, निदेशक (निगरानी) की अध्यक्षता में और श्री प्रताप शेल्के, उपनिदेशक (निगरानी) के साथ 13 से 16 फरवरी 2024 तक पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत कर्नाटक के ऊपरी तुंगा परियोजना की निगरानी यात्रा की।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

1. बाढ़ और संबंधित मुद्दे

हथनीकुंड और ओखला बैराज के बीच पहुंच के लिए यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन पर समिति की अंतरिम रिपोर्ट

9 से 13 जुलाई, 2023 के बीच पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हुई भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में व्यापक बाढ़ आई, खासकर यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में। परिणामस्वरूप उच्च अपवाह और निर्वहन के कारण यमुना के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ आ गई। इस घटना ने यमुना में बाढ़ प्रबंधन के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप जल संसाधन विभाग, आरडी एंड जीआर द्वारा एक समिति का गठन किया गया। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति को हथिनीकुंड बैराज से ओखला बैराज तक बाढ़ प्रबंधन का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था।

समिति ने हरियाणा सरकार, एनसीटी दिल्ली सरकार, यूपी सरकार और अन्य संगठनों के अधिकारियों के साथ बैठकें कीं, जिन्होंने इस संबंध में अपने इनपुट दिए और अपना

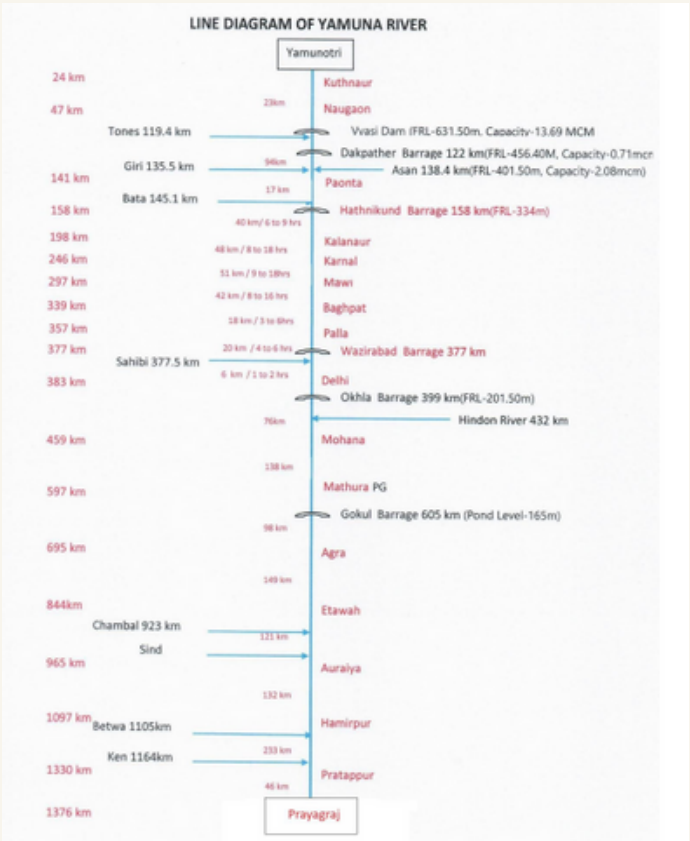

जमीनी अनुभव साझा किया। एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण के बाद समिति द्वारा इस संबंध में एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की गई। अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों में बाढ़ के दौरान सभी गेट खुले रखकर आईटीओ बैराज का संचालन करना, दिल्ली में चेतावनी और खतरे के स्तर की समीक्षा करना और नदी के किनारे अस्थायी संरचनाओं को तुरंत नष्ट करना शामिल है।

आगे के विश्लेषण और सिफ़ारिशों को अंतिम रिपोर्ट में विस्तृत किया जाएगा, जिसमें बाढ़ जल भंडारण स्थलों और तटबंधों को मजबूत करने जैसे पहलुओं को संबोधित किया जाएगा।

2023 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्य में व्यापक बाढ़ के मद्देनजर संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए समिति की दूसरी बैठक

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने 2023 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्य में व्यापक बाढ़ के मद्देनजर संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए 29.02.2024 को हाइब्रिड मोड में समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), श्री गोवर्धन प्रसाद, निदेशक, हैड्रालोजी (एन) निदेशालय, श्री एन एस शेखावत, निदेशक, एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय और सीडब्ल्यूसी, डब्ल्यूआरडी, पंजाब यूकेएसडीएमए, उत्तराखंड, आईआरआई, उत्तराखंड, बीबीएमबी, एचपीपीसीएल के अन्य अधिकारी, एसजेवीएन, एनएचपीसी, एनडब्ल्यूआईसी, जेएसवी हिमाचल प्रदेश, सीडब्ल्यूपीआरएस, आईएमडी, एनआरएससी, जेएसडब्ल्यूएनर्जी, एनआई ने बैठक में भाग लिया।

बैठक की कार्यवाही 21.11.2023 को आयोजित समिति की पहली बैठक के दौरान विभिन्न राज्य सरकार के विभागों/संगठनों को सौंपे गए विभिन्न कार्यों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की स्थिति के साथ शुरू हुई। प्रथम बैठक में सौंपे गए प्रत्येक कार्य के अंतर्गत की गई कार्रवाई सहित/स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न संगठनों को सौंपे गए कार्यों पर विभिन्न संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के बाद, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी और समिति के अध्यक्ष ने समिति के पहले तीन टीओआर को पूरा करने के लिए विभिन्न संगठनों को अन्य कार्य सौंपे।

2. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम

महाराष्ट्र राज्य की चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समिति की बैठक

अध्यक्ष, के.ज.आ. और पदेन सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर द्वारा 2016-2017 में शामिल 99 प्राथमिकता वाली चालू पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस संबंध में, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव की अध्यक्षता में महाराष्ट्र की चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की समीक्षा के लिए 10.02.2024 को समिति की 5वीं बैठक सेवा भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

बैठक में परियोजनाओं की स्थिति/प्रगति/अड़चनों/आगे का मार्ग आदि पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसके कारण मार्च-2026 तक परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हो रही है। के.ज.आ. के अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि इन परियोजनाओं को अनुमोदित लागत के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और बाधाओं सहित सभी मुद्दों को हल करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि, इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। बैठक फिजिकल मोड और वर्चुअल मोड दोनों में आयोजित की गई।

डॉ. संजय बेलसारे, सचिव (परियोजना समन्वय), डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। एमसीओ, नागपुर के क्षेत्रीय संगठनों के के.ज.आ. अधिकारी, आयुक्त (सीएडी) और एसजेसी (एसपीआर) डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर और के.ज.आ. मुख्यालय के अधिकारी/कर्मचारी भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में आठ (08) चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं की उनके सीएडीडब्ल्यूएम के साथ समीक्षा की गई और परियोजनाओं को पूरा करने की वास्तविक तिथि निर्धारित की गई और आगे की छह (06) परियोजनाओं को समय की कमी/अपर्याप्त जानकारी के कारण अगली बैठक में चर्चा के लिए स्थगित कर दिया गया।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम योजना के पुनरुद्धार के लिए कार्य समूह की दूसरी अनुवर्ती बैठक

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्लूएम योजना के पुनर्निर्देशन के लिए कार्य समूह की दूसरी अनुवर्ती बैठक 06.02.2024 को सेवा भवन, नई दिल्ली में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।
बैठक में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) और कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी&डब्लूएम) के पुन:अभिमुखीकरण के लिए सीएडीडब्लूएम विंग से प्राप्त इनपुट को कार्य समूह की रिपोर्ट में शामिल किया गया और इसे समिति के सदस्यों की टिप्पणियों के लिए उनके बीच परिचालित भी किया गया।

3. अन्य गतिविधियाँ

आईडब्ल्यूआरडी, हरियाणा के साथ बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने यमुना से राजस्थान के हिस्से का पानी (ओखला तक) ले जाने के तौर-तरीकों के संबंध में 02.02.2024 को हरियाणा सरकार के सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में ऊपरी गंगा नदी बोर्ड के अधिकारी और के.ज.आ. के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

साधनों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। के.ज.आ. द्वारा प्रस्तुत डेटा विश्लेषण पर हरियाणा के अधिकारियों द्वारा मोटे तौर पर सहमति व्यक्त की गई।

8वें भारत जल सप्ताह की तकनीकी समिति की दूसरी बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 05.02.2024 को 8वें भारत जल सप्ताह (आईडब्ल्यूडब्ल्यू) की तकनीकी समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। भारत जल सप्ताह एक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर द्वारा द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। 8वां IWW 17-21 सितंबर 2024 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में "समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग" विषय पर आयोजित होने वाला है।

बैठक में एनडब्ल्यूडीए, एनएमसीजी, नीति आयोग, एनएचपीसी, सीएसएमआरएस, सीजीडब्ल्यूए, एनआईएच, आईसीआईडी, एनडब्ल्यूएम, सीपीसीबी, डब्ल्यूटीसी-आईएआरआई, एमओईएफ एंड सीसी, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, इंडिया वॉटर फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और के.ज.आ. के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
अध्यक्ष, के.ज.आ. ने उप विषयों के तहत शामिल किए जाने वाले विषयों पर कई सुझाव दिए। विचार-विमर्श के बाद तकनीकी समिति ने शामिल किए जाने वाले उपविषयों/विषयों को अंतिम रूप दिया। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी पेपर जमा करने की समय-सीमा को भी अंतिम रूप दिया गया।

"पाइप सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के लिए दिशानिर्देश" के संबंध में बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 09.02.2024 को "पाइप सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के लिए दिशानिर्देश" के संबंध में एक बैठक की। बैठक में सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी) और के.ज.आ. के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व बैंक के श्री क्लार्क द्वारा इन दिशानिर्देशों के तहत शामिल पाइप सिंचाई नेटवर्क के विभिन्न पहलुओं पर एक प्रस्तुति दी गई।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, अध्यक्ष के.ज.आ. ने मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ) की अध्यक्षता में एक समिति के गठन के संबंध में निर्देश जारी किए, जो पाइप सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के लिए दिशानिर्देशों को अद्यतन करने से संबंधित कार्य का संचालन करेगी। के.ज.आ. के अन्य संबंधित संगठन पाइप सिंचाई नेटवर्क से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। उच्च स्तर पर विचार के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को 25 मार्च, 2024 तक अंतिम रूप दिया जाएगा।

सिंचाई परियोजनाओं के कमांड/आस-पास के क्षेत्र से होने वाले अप्रत्यक्ष/अमूर्त लाभ का आकलन

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने सिंचाई परियोजनाओं के कमांड/आस-पास के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष/अमूर्त लाभ के आकलन के संबंध में 07.02.2024 को नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर), नई दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में के.ज.आ. (मुख्यालय) के विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों और एनसीएईआर के अधिकारियों ने भाग लिया। इस संबंध में एनसीएईआर अधिकारियों द्वारा एक प्रस्तुति दी गई थी। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने उल्लेख किया कि वर्तमान में, परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लाभ-लागत अनुपात में केवल प्रत्यक्ष लाभों को ध्यान में रखा जा रहा है।

परियोजनाओं के आसपास बड़े पैमाने पर अमूर्त/अप्रत्यक्ष लाभ सामने आते हैं जिनका अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। वर्तमान अध्ययन में परियोजना के समग्र लाभों (मूर्त और अमूर्त दोनों) को मापने के लिए एक मूल्यांकन ढांचा विकसित करना आवश्यक है।

विस्तृत चर्चा के बाद, विभिन्न सुझाव दिए गए और एनसीएईआर से जल्द से जल्द विस्तृत अध्ययन प्रस्ताव के लिए एक अवधारणा नोट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) की तकनीकी सलाहकार समिति की 77वीं बैठक

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) की तकनीकी सलाहकार समिति की 77वीं बैठक केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागी एनआईएच-रुड़की के सोसाइटी रूम में व्यक्तिगत रूप से और दूर से शामिल हुए।

एनआईएच के निदेशक ने एनआईएच-रुड़की का संक्षिप्त विवरण

प्रदान किया और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संस्थान के कार्य योजना की शुरुआत की।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि संस्थान को भविष्य के अध्ययन के लिए के.ज.आ. और केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक जैसे अनुसंधान प्रयासों के दोहराव को रोकने के लिए हाइड्रोलॉजिकल अध्ययनों के सारांश के विकास का पता लगाने की सिफारिश की गई थी।

10वें विश्व जल मंच के लिए आईसीआईडी इनपुट का मार्गदर्शन करने के लिए कार्य दलकी बैठक

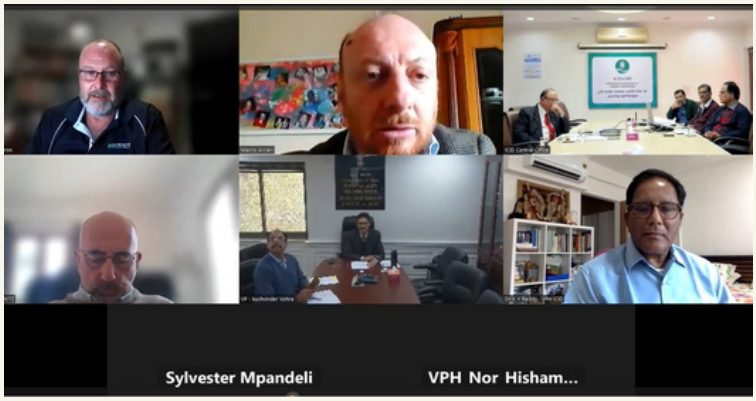

10वें विश्व जल मंच के लिए आईसीआईडी इनपुट का मार्गदर्शन करने के लिए कार्य दलकी एक बैठक 8 फरवरी 2024 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। श्री ऋषि श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (ईएमओ), के.ज.आ. और सदस्य सचिव (आईएनसीआईडी) ने 'पर्यवेक्षक' के रूप में कार्य दलकी बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान, आईसीआईडी ने बताया कि आईसीआईडी ने ए) स्मार्ट जल प्रबंधन, बी) जल, भोजन और ऊर्जा नेक्सस, और सी) जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने पर 3 सत्र चलाने के लिए कहा था जिसके उपविषय होंगे- 1)जल सुरक्षा और समृद्धि, 2) आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन और 3) शासन सहयोग और हाइड्रो-डिप्लोमेसी लेकिन कई फॉलो-अप के बावजूद अभी तक विश्व जल मंच-10 मुख्यालय से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

बैठक के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन के रूप में 10वें विश्व जल मंच के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया, जिससे आईसीआईडी जल क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति को दुनिया के सामने पेश करने के लिए लाभ उठा सकता है। प्रदर्शनी के भीतर आईसीआईडी की गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करके प्रस्तुत करने की योजना पर भी चर्चा की गई। कार्य दलके सदस्यों ने विश्व जल मंच के विभिन्न सत्रों के दौरान संभावित योगदान के बारे में जानकारी साझा की।

इसके अलावा, श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन सचिव और उपाध्यक्ष, आईसीआईडी ने 12.02.2024 को आईसीआईडी की दीर्घकालिक वित्तीय और तकनीकी स्थिरता पर चर्चा करने के लिए कार्य दलकी एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।

बैठक में आईसीआईडी के अध्यक्ष, आईसीआईडी के विभिन्न उपाध्यक्ष और आईसीआईडी के महासचिव भी शामिल हुए। आईसीआईडी की वित्तीय और तकनीकी स्थिरता के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।वित्तीय व्यवहार्यता के अलावा, यह भी महसूस किया गया कि आईसीआईडी को हाल की चुनौतियों से भी निपटना चाहिए जैसे: जलवायु परिवर्तन, बांध, नहर नेटवर्क, जल विज्ञान, संरचनात्मक व हाइड्रोलिक विश्लेषण, उपज भविष्यवाणी के लिए मॉडलिंग एवं सेवा वितरण, परिसंपत्ति प्रबंधन और हार्डवेयर घटकों के लिए रखरखाव प्रौद्योगिकियों आदि।

पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की पहली बैठक

पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की पहली बैठक 21.02.2024 को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। बैठक में चार सह-बेसिन राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और एनआईएच रूड़की के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इसके अलावा, सदस्य (डब्ल्यूपी&पी), के.ज.आ.; मुख्य अभियंता, एचएसओ; मुख्य अभियंता, आईएमओ सदस्य सचिव के रूप में; जल विज्ञान-दक्षिण निदेशालय के निदेशक और केंद्रीय जल आयोग से आईएसएम-1 निदेशालय के निदेशक भी बैठक में उपस्थित थे।

सह-बेसिन राज्यों के प्रतिनिधियों और समिति के अन्य सदस्यों ने पेन्नैयार नदी जल विवाद के मुद्दे पर समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

समिति के सदस्यों के विचारों को सुनने और मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के बाद, समिति के अध्यक्ष ने सुझाव दिया है कि मामले में शामिल मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और समिति के संदर्भ की शर्तों को संबोधित करने के लिए, सभी चार सह-बेसिन राज्यों से आवश्यक जानकारी और डेटा का एक सेट युक्त एक स्मारक/रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। बेसिन राज्य 15 दिनों के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।

डब्ल्यूआरडी, ओडिशा सरकार के अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बातचीत

के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने के.ज.आ. मुख्यालय और के.ज.आ. क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के अधिकारियों की टीम के साथ 23.02.2024 को भुवनेश्वर में डब्ल्यूआरडी, ओडिशा सरकार के अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बातचीत की।ओडिशा सरकार के डब्ल्यूआरडी के अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बातचीत की। क्षेत्रीय निदेशक, सीजीडब्ल्यूबी, भुवनेश्वर ने भी बैठक में भाग लिया। ओडिशा राज्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ओडिशा सरकार की विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव, डब्ल्यूआरडी, श्रीमती अनु गर्ग ने किया। डब्ल्यूआरडी, ओडिशा ने उनके द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, सतही लघु सिंचाई योजनाओं और

जल निकायों के आरआरआर की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने परियोजना से विस्थापित लोगों के प्रभावी पुनर्वास और पुनर्वास के लिए की गई नई पहल पर भी प्रकाश डाला। बाढ़ प्रबंधन के लिए की गई विभिन्न गतिविधियों और बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के तहत आवश्यक विभिन्न गतिविधियों की प्रगति भी प्रस्तुत की गई।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने शहरी बाढ़, विस्तारित हाइड्रोलॉजिकल भविष्यवाणी मॉडलिंग, एकीकृत जलाशय संचालन और बाढ़ पूर्वानुमान के क्षेत्र में नई गतिविधियों के क्षेत्र में के.ज.आ. द्वारा की गई नई पहलों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि के.ज.आ. ने 7 दिनों की परामर्शी सेवा शुरू कर दी है और जल्द ही बाढ़ का पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर देगी। उन्होंने के.ज.आ. द्वारा इन-हाउस विकसित एक मोबाइल ऐप "फ्लडवॉच" का भी प्रदर्शन किया और इसका उपयोग देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने राज्यों के परामर्श से तटीय प्रबंधन के क्षेत्र में नई गतिविधियाँ शुरू करने के के.ज.आ. के दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।

के.ज.आ. में राज्य द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत विभिन्न परियोजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। राज्य की डिजाइन परामर्श आवश्यकताओं के बारे में भी चर्चा की गई। ओडिशा राज्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी निर्दिष्ट बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना की तैयारी के बारे में भी जागरूक किया गया था। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने डब्ल्यूआरडी अधिकारियों को आईआईटी-रुड़की और आईआईएससी बेंगलुरु में बांध सुरक्षा के क्षेत्र में एम-टेक पाठ्यक्रमों में अधिक अधिकारियों को नामांकित करने के लिए कहा। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि एनडब्ल्यूए, पुणे ने जल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने में विशेषज्ञता हासिल की है और डब्ल्यूआरडी, ओडिशा के अधिक संख्या में अधिकारियों को इसका लाभ उठाना चाहिए।

बातचीत के नतीजे की एसीएस, डब्ल्यूआरडी ओडिशा ने सराहना की।

यमुना जल को राजस्थान में स्थानांतरित करने की परियोजना की डीपीआर तैयार करना

चुरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों में पेयजल आपूर्ति और अन्य जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए यमुना जल की आपूर्ति की परिकल्पना राजस्थान द्वारा की गई थी।

ऊपरी यमुना समीक्षा समिति ने 15.02.2018 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में राजस्थान राज्य को भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से उक्त जिलों में यमुना जल स्थानांतरित करने और इसके उपयोग के लिए परियोजना हेतु डीपीआर तैयार करने की सलाह दी।

केंद्रीय जल आयोग और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड ने डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर और माननीय जलशक्ति मंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए भागीदार राज्यों के बीच सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 17.02.2024 को हरियाणा और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की और उसके बाद, राज्यों के बीच इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), इसरो के साथ बैठक

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 16.02.2024 को अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), इसरो, अहमदाबाद के अधिकारियों के साथ सीडब्ल्यूसी में एक बैठक की। बैठक में डॉ. प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रमुख, भूमि जल विज्ञान प्रभाग, एसएसी, इसरो ने भारत में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष-जनित रिमोट सेंसिंग अवलोकनों के संभावित उपयोग पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। डॉ. गुप्ता ने एसएसी में जल विज्ञान और जल संसाधन के क्षेत्र में हाल के विकास को प्रस्तुत किया।
कुछ प्रमुख विकासों में शामिल हैं:

1. 1:12500 पैमाने पर देश की आर्द्रभूमि/जल निकाय भू-स्थानिक डेटाबेस।

2. ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के लिए परिचालनात्मक स्थानिक बाढ़ पूर्वानुमान।

3. सैटेलाइट अल्टीमेट्री आदि का उपयोग करके सीमा पार नदियों सहित नदी/जलाशयों के जल स्तर की निगरानी।

इस बात पर भी चर्चा की गई कि उपग्रह प्रौद्योगिकी और मॉडल आधारित अनुमान इन-सीटू अवलोकनों के पूरक और दूरस्थ और सीमा-पार स्थानों की निगरानी के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। एसएसी ने उल्लेख किया कि उन्हें मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा देखे गए विभिन्न डेटा (जैसे नदी निर्वहन, जल स्तर इत्यादि) की आवश्यकता होगी और कुछ परीक्षण स्थलों की पहचान की जा सकती है जहां इस संबंध में एसएसी (इसरो) और सीडब्ल्यूसी संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं। एसएसी ने यह भी उल्लेख किया है कि वर्तमान में उपग्रह पुनरीक्षण की अवधि लगभग 21 दिन है, जिसे उपग्रहों का समूह प्रदान करके कम किया जा सकता है जिसके लिए इस मामले में उपयोगकर्ता विभाग यानी सीडब्ल्यूसी की ओर से अनुरोध आना चाहिए।

सीडब्ल्यूसी ने उल्लेख किया कि बाढ़ के पूर्वानुमान और जल निकायों के स्तर/मात्रा के अलावा, वे हिमनद झील के शिखर के स्तर और मात्रा में भी रुचि लेंगे। सीडब्ल्यूसी ने विभिन्न अंतरिक्ष-जनित उत्पादों/तकनीकों के प्रसंस्करण में क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया।

अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने प्रस्ताव दिया कि एसएसी और सीडब्ल्यूसी के बीच पहचाने गए क्षेत्रों में एक निःशुल्क समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। एसएसी इस प्रस्ताव से तुरंत सहमत हो गई।

4. जलाशय निगरानी

जलाशय निगरानी

सीडब्ल्यूसी साप्ताहिक आधार पर देश के 150 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। इन 150 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 178.784 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित 257.812 बीसीएम की संग्रहण क्षमता का लगभग 69.35% है।

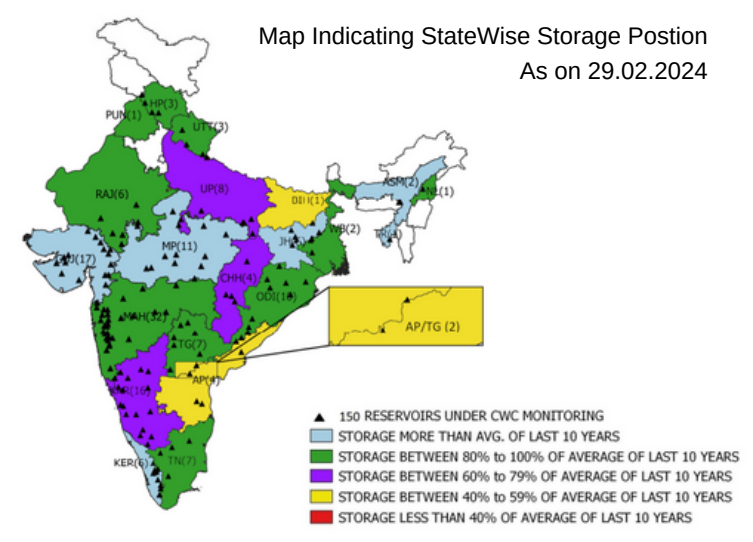

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 29.02.2024 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 77.399 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 43% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 92.779 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 82.239 बीसीएम था। इस प्रकार, 29.02.2024 बुलेटिन के अनुसार 150 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 83% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 94% है।

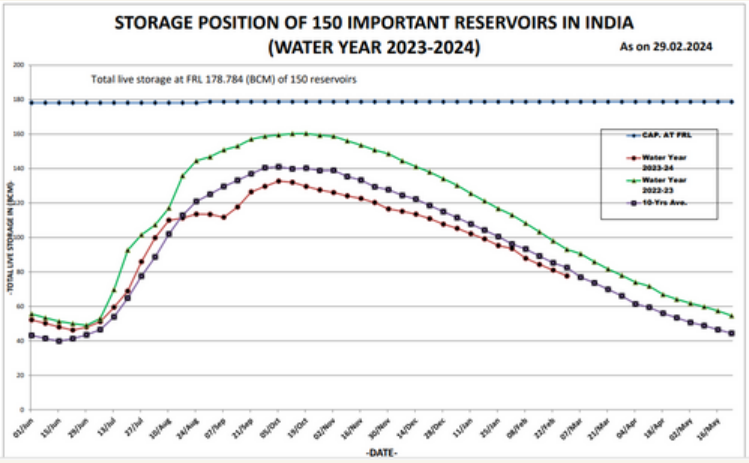

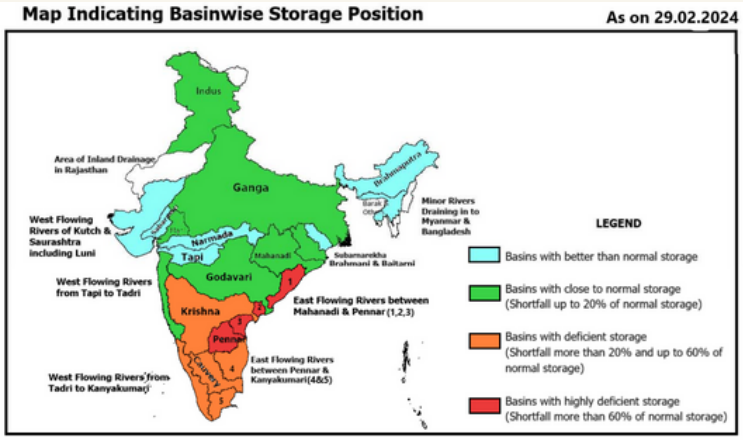

गैलरी

सीडब्ल्यूसी के पूर्व अध्यक्ष श्री आर.के. जैन नेतृत्व में गठित समिति के सदस्य के रूप में श्री एन.एन.राय, निदेशक, जल विज्ञान (एनई) निदेशालय ने तीस्ता नदी में जीएलओएफ घटना के कारणों का अध्ययन करने हेतु 27.02.2024 से 03.03.2024 तक सिक्किम का दौरा किया।

दिनांक 28.02.2024 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गांधीनगर के सहयोग से माही व तापी बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, गांधीनगर द्वारा "जल संसाधन प्रबंधन में केन्द्रीय जल आयोग की भूमिका" पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अभियंता, माही तापी बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, गांधीनगर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

श्री पी.एम. स्कॉट सदस्य (आरएम), सीडब्ल्यूसी ने 25.02.2024 को जीडीएसक्यू साइट अयोध्या का निरीक्षण दौरा किया। उनके साथ श्री बी.के. करजी, सीई (एफएमओ), श्री अमरीश पाल सिंह, निदेशक (एम एंड ए) लखनऊ, श्री सुधीर कुमार, एसई (एचओसी) देहरादून, श्री आशीष अवस्थी, ईई (एमजीडी-1) श्री सरबजीत सिंह ईई एमजीडी-2 और यूजीबीओ के अन्य अधिकारी दौरे के दौरान उपस्थित थे।

महादायी प्रवाह की पहली बैठक श्री पी एम स्कॉट, अध्यक्ष, एम-प्रवाह की अध्यक्षता में 13 फरवरी 2024 को गोवा में आयोजित की गई थी। जिसमें पार्टी राज्य- गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र उपस्थित थे।

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री पदमा दोर्जे, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री राकेश टोटेजा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in